

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029
(अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./महिला प्रकोष्ठ)

फा.सं.2-23/2025/शिकायत/स्था.(महि.प्रकोष्ठ)

दिनांक:

कार्यालय जापन

विषय: एम्स के कर्मचारियों को अनुसूचित जनजाति (अ.जा.) कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखने संबंधी परामर्शी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को, एतद्वारा, सलाह दी जाती है कि वे कार्यस्थल पर समानता, सम्मान एवं भेदभाव रहित सिद्धांतों का सख्ती से पालन करें।

अनुसूचित जनजाति (अ.जा.) से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जाति आधारित टिप्पणी, भेदभाव, उत्पीड़न करना, डराना-धमकाना या उन्हें परेशान करना, जैसे व्यवहार को गंभीरता से लिया जाएगा एवं इसके लिए लागू सेवा नियमावली तथा संबंधित कानूनों के तहत सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

सभी विभागों/अनुभागों के अध्यक्षगण से अनुरोध है कि कृपया इस सूचना को अपने नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाएं तथा इस परामर्शी का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

इसे एम्स, नई दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अनिता टेटे)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:-

1. संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/केन्द्रों के प्रमुखगण।
2. चिकित्सा अधीक्षक (अस्प. एवं डॉ.रा.प्र.केन्द्र)/विभागों/अनुभागों के अध्यक्षगण/एककों के प्रभारीगण।
3. वरिष्ठ वित्त सलाहकार/उप-सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता।
4. मुख्य परिचर्या अधिकारी/सभी परिचर्या अधीक्षक/उप परिचर्या अधीक्षक/सहायक परिचर्या अधीक्षक।
5. सभी एसोसिएशन/यूनियन/संकाय-सदस्यगण/अधिकारीगण/स्टाफ-सदस्य।
6. कंप्यूटर सुविधा- इसे संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

सूचनार्थ प्रतिलिपि:-

निदेशक /अपर निदेशक (प्रशासन) कार्यालय

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029
(अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./महिला प्रकोष्ठ)

फा.सं.2-23/2025/शिकायत/स्था.(महि.प्रकोष्ठ)

दिनांक:

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एम्स के कर्मचारियों को अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा) कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखने संबंधी परामर्शी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को, एतद्वारा, सलाह दी जाती है कि वे कार्यस्थल पर समानता, सम्मान एवं भेदभाव रहित सिद्धांतों का सख्ती से पालन करें।

अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा) से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जाति आधारित टिप्पणी, भेदभाव, उत्पीड़न करना, डराना-धमकाना या उन्हें परेशान करना, जैसे व्यवहार को गंभीरता से लिया जाएगा एवं इसके लिए लागू सेवा नियमावली तथा संबंधित कानूनों के तहत सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

सभी विभागों/अनुभागों के अध्यक्षगण से अनुरोध है कि कृपया इस सूचना को अपने नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाएं तथा इस परामर्शी का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

इसे एम्स, नई दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अनिता टेटे)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:-

1. संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/केन्द्रों के प्रमुखगण।
2. चिकित्सा अधीक्षक (अस्प. एवं डॉ.रा.प्र.केन्द्र)/विभागों/अनुभागों के अध्यक्षगण/एककों के प्रभारीगण।
3. वरिष्ठ वित्त सलाहकार/उप-सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता।
4. मुख्य परिचर्या अधिकारी/सभी परिचर्या अधीक्षक/उप परिचर्या अधीक्षक/सहायक परिचर्या अधीक्षक।
5. सभी एसोसिएशन/यूनियन/संकाय-सदस्यगण/अधिकारीगण/स्टाफ-सदस्य।
6. कंप्यूटर सुविधा- इसे संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

सूचनार्थ प्रतिलिपि:-

निदेशक/अपर निदेशक (प्रशासन) कार्यालय

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029
(अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./महिला प्रकोष्ठ)

फा.सं.2-23/2025/शिकायत/स्था.(महि.प्रकोष्ठ)

दिनांक:

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एम्स के कर्मचारियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखने संबंधी परामर्शी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को, एतद्वारा, सलाह दी जाती है कि वे कार्यस्थल पर समानता, सम्मान एवं भेदभाव रहित सिद्धांतों का सख्ती से पालन करें।

अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जाति आधारित टिप्पणी, भेदभाव, उत्पीड़न करना, डराना-धमकाना या उन्हें परेशान करना, जैसे व्यवहार को गंभीरता से लिया जाएगा एवं इसके लिए लागू सेवा नियमावली तथा संबंधित कानूनों के तहत सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

सभी विभागों/अनुभागों के अध्यक्षगण से अनुरोध है कि कृपया इस सूचना को अपने नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाएं तथा इस परामर्शी का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

इसे एम्स, नई दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अनिता टेटे)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:-

1. संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/केन्द्रों के प्रमुखगण।
2. चिकित्सा अधीक्षक (अस्प. एवं डॉ.रा.प्र.केन्द्र)/विभागों/अनुभागों के अध्यक्षगण/एककों के प्रभारीगण।
3. वरिष्ठ वित्त सलाहकार/उप-सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता।
4. मुख्य परिचर्या अधिकारी/सभी परिचर्या अधीक्षक/उप परिचर्या अधीक्षक/सहायक परिचर्या अधीक्षक।
5. सभी एसोसिएशन/यूनियन/संकाय-सदस्यगण/अधिकारीगण/स्टाफ-सदस्य।
6. कंप्यूटर सुविधा- इसे संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

सूचनार्थ प्रतिलिपि:-

निदेशक /अपर निदेशक (प्रशासन) कार्यालय